संख्या- 06/2017/1737/बयालिस-2017-45(विविध)/2015

प्रेषक,

मो0 इफ्तेखारूद्दीन,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
खेल,
उत्तर प्रदेश शासन ।

खेल अनुभाग **लखनऊ : दिनांक : 01 सितम्बर, 2017**

विषय :- के0डी0 सिंह 'बाबू' स्टेडियम, लखनऊ में रूफटॉप सोलर पावर प्लाण्ट की स्थापना के सम्बन्ध में वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- जी0-756/नि0 के0डी0 सिंह अनुरक्षण पत्रा0/2017-18 दिनांक 26 अगस्त, 2017 के सन्दर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि के0डी0 सिंह 'बाबू' स्टेडियम, लखनऊ में रूफटॉप सोलर पावर प्लाण्ट की स्थापना के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या- 1277/बयालिस-2016-45(विविध)/2015, दिनांक 18.07.2016 द्वारा निर्गत रू0 26,45,812.00 (रूपया छब्बीस लाख पैंतालिस हजार आठ सौ बारह मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा उक्त के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2016-17 में प्राविधानित धनराशि रू0 13.00 लाख अवमुक्त करने के उपरान्त वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्राविधानित धनराशि रू0 13.00 लाख (रूपया तेरह लाख मात्र) अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

(1)- उक्त स्वीकृत धनराशि रू0 13.00 लाख (रूपया तेरह लाख मात्र) की धनराशि निदेशक, खेल द्वारा कोषागार से आहरित करके कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा अभिकरण, लखनऊ को उपलब्ध करायी जायेगी। उक्त स्वीकृत धनराशि परिव्यय एवं बजट सीमा के अन्तर्गत निर्गत की जा रही है।

(2)- प्रायोजनान्तर्गत नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियाँ एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।

(3)- कार्य की विशिष्टियां मानक एवं गुणवत्ता की जिम्मेदारी निदेशक, खेल एवं कार्यदायी संस्था की होगी।

(4)- स्वीकृत धनराशि को आहरित कर बैंक/डाकघर/पी0एल0ए0/डिपाजिट खाते में नही रखी जायेगी।

(5)- प्रायोजना की लागत में टाइम ओवर रन एवं कास्ट ओवर रन न हो अत: इस सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों एवं बजट मैनुअल के प्रस्तर- 212 (VII) में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(6)- लेबर सेस के भुगतान की कार्यवाही नियमानुसार सुनिश्चित की जायेगी ।

(7)- प्रायोजनान्तर्गत यह सुनिश्चित किया जायेगा कि स्वीकृत किये जा रहे कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत्र में धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है ।

(8)- शासनादेश संख्या- 1277/बयालिस-2016-45(विविध)/2015, दिनांक 18.07.2016 में उल्लिखित अन्य शर्ते व प्रतिबन्ध यथावत रहेंगी ।

2- उक्त मद में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2017-18 के अनुदान संख्या-22 के लेखाशीर्षक " 4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय-03-खेलकूद तथा युवा सेवा-800-अन्य व्यय -12-के0डी0 सिंह "बाबू" स्टेडियम लखनऊ-1201-सोलर लाइट की स्थापना-24-कृत् निर्माण " के नामे डाला जायेगा ।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञापन संख्या-1/2017/बी-1-02/दस-2017-231/2017, दिनांक 02 जनवरी, 2017 एवं कार्यालय-ज्ञापन संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक 03 अगस्त, 2017 में प्रतिनिहित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहें है।

भवदीय,

(मो0 इफ्तेखारूद्दीन)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या- 1737(1)/बयालिस-2017-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1)- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
(2)- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
(3)- मुख्य कोषाधिकारी, जीपीएफ भवन, लखनऊ।
(4)- जिलाधिकारी, लखनऊ।
(5)- निदेशक, उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा अभिकरण, लखनऊ विभूति खण्ड गोमतीनगर, लखनऊ ।
(6)- क्षेत्रीय क्रीड़ाधिकारी, लखनऊ ।
(7)- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- 1/2
(8)- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग- 5
(9)- गार्ड फाईल/कम्प्यूटर प्रति।

आज्ञा से,

(भूपेन्द्र बहादुर सिंह)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in